Title: Need to increase quota of foodgrains to Rajasthan through P.D.S.

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : महोदय, राजस्थान में खासकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आदिवासी लोग उचित दर की दुकान से मिलने वाले राशन पर ही निर्भर हैं। इन लोगों के पास गुजारा करने लायक न तो पर्याप्त जमीन है और न ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यहां हमेशा पीने के पानी की कमी रहने के कारण पशुओं को चारा और पानी नहीं मिल पाता है।

सन् १९८० में उचित मूल्य की दुकान से १० से १५ किलो प्रतिव्यक्ति गेहूं १.५० की दर से दिया जाता था तथा पशुओं के लिए चारा मुफ्त उपलब्ध कराया जाता था परन्तु काफी समय से खाद्यान्न की आपूर्ति राज्य में न के बराबर है। १९९१ से १९९६ में १० कि.ग्रा. प्रतिव्यक्ति गेहूं की आपूर्ति राज्य को दी गई थी लेकिन पिछले ३-४ साल से गेहूं की आपूर्ति नहीं की गई है, जिसका नतीजा यह निकला है कि राज्य में लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र खाद्यान्न का कोटा, जैसे तेल, चीनी, गेहूं, चावल आदि और प्रत्येक व्यक्ति को १५ कि.ग्रा. गेहूं उचित दर की दुकान से बढ़ा कर दिया जाये। यदि समय रहते आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार नहीं किया गया तो ऐसी आशंका है कि राज्य स्तर पर महामारी एवं भुखमरी फैल जायेगी। भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह राज्य में ऐसी स्थिति पैदा न होने दे और समय पर उचित कदम उठा कर आवश्यक उपभोक्ता की आपूर्ति में सुधार करे।